

31.5.22

पतावली पेश हुई। वकील पदव्याप्त अनुप्रायित /  
वकीलवादी, प्रोत्वादी एवं कोदियों, प्रोत्वादीयों को -  
व्याप्त समस्त क्वार-क्वार आनाज लगवाई-  
गई। लेकिन कोई उपास्थित नहीं आये।

कृत: कोदियों का बाद अन्वर्त अवेधारा 88  
53.188 रा. में ए. अन्वर्त आदेश 09 नियम 03 के  
अधम हाजरी अधम पैदनी में एकोरे 03 निभाकलाई /  
पतावली फसल कुमाए होकर कम्बर से नम होला  
दाविले दण्ड हो। कि वय लुके व्याप्तिय में  
सूनाया गया।

उपरण्ड अधिकारी  
साँभर लेक

